न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 03/2017

1. तेजूराम पुत्र स्व0 श्री रामा गुर्जर
2. श्रीमति राधा पत्नी स्व0 श्री रामा गुर्जर
दोनों जाति गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम गारियों की नाडी रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

........प्रार्थीगण

बनाम

1. लादूराम पुत्र श्री प्रताप गुर्जर
2. हेमराज पुत्र श्री हजारी गुर्जर
3. भोला पुत्र श्री रामा गुर्जर
4. तेजू पुत्र श्री सुवा गुर्जर
5. पांचू पुत्र श्री भालू गुर्जर
सभी जाति गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम गारियों की नाडी रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।

.........अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम
आदेश दिनांक 26.04.2017

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2847 रक्बा 10 बिस्वा 2848 रक्बा 3–07–00 व 2869 रक्बा 2–07–00 तथा 2869/4013 रक्बा 09 बिस्वा कुल किता 4 रक्बा 6–13–00 बीघा व ख0 न0 2870 रक्बा 0–06–10 व 2873 रक्बा 2–08–00 किता 2 रक्बा 2–14–10 एवं 2841 रक्बा 1–18.10 प्रार्थीगण की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां है जिन पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आता है। जिनकी पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है क्योकि अप्रार्थीगण इनमें अक्सर अपनी सीमा से आगे बढ जाते है इसलिए इनकी पत्थर गढी किया जाना आवश्यक है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम रामगढ की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 719 ख0 न0 2847, 2848, 2869 व 2869/4013 प्रार्थीगण की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां है तथा खाता संख्या 782 ख0 न0 2870 व 2873 एवं खाता संख्या 783 ख0 न0 2841 की भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमियां है जिनका सीमांकन विधिक विभाजन के बिना संभव नही है। इसलिए वादीगण खाता संख्या 719 की भूमियां की सीमा तक ही पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम रामगढ स्थित आराजी ख0 न0 2847, 2848, 2869, 2869/4013 किता 4 रक्बा 6–13–00 बीघा के लिए मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर मुकर्रर किया जाता है और उन्हे निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का मौके पर जरिये माप सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.19 16:33:15 IST
Reason: SelfAttested